राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकःएफ 13( )अनु./कोचिग/रास्तसमिति/सान्याअवि/2025/ जयपुर, दिनांकः

आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

NfSt

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत्।

NewsforSpecialTeacher.in

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राष्ट्रीय स्तरीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करण एवं एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र, राजस्थान के समस्त संस्करण (जिसकी दैनिक पचास हजार या इससे अधिक प्रतियां प्रकाशित होती हों) में न्यूनतम साईज में (सुगमता से पठनीय हो) प्रकाशित करवाने जाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ 13( )अनु./कोचिग/रास्तसमिति/सान्याअवि/2025/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. आयुक्त, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
5. सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिनांक 01.02.2025 से 10.02.2025 तक अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु पोर्टल खुलवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bacharesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.31 21:29:12 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

NewsforSpecialTeacher.in

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.को./रा.स्त.समिति/बैठक/सान्याअवि/2025/ जयपुर, दिनांकः

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2024–25 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विभागीय परिपत्र क्रमांक 20930 दिनांक 13.11.2024 एवं विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया क्रमांक 21178 दिनांक 15.11.2024 (विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है) के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा विभागीय SJMS SMS APP (CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक कर) पर दिनांक 01 फरवरी 2025 से दिनांक 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाईन कर सकते है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.31 21:29:12 IST
Reason: Approved

NewsforSpecialTeacher.in

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 13 () अनु. कोचिंग/सान्याअवि/2024/ 21178 जयपुर, दिनांक 15.11.2024

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया

वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारम्भ करने के सम्बंध में सामान्य दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक PD(Exp-2)05/TAD(B.A.107)2021-22 दिनांक 05-06-2021 (यथा संशोधित) जारी किया गया था जिसमें नवीनतम संशोधन कर विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 20930 दिनांक 13.11.2024 जारी किया गया है। उक्त परिपत्र क्रमांक 20930 दिनांक 13.11.2024 के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार जारी किये जाते है:–

1. **उद्देश्य, परिभाषा एवं कार्यक्षेत्र :–**

A) योजना का उद्देश्य राज्य के युवा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाकर रोजगारोन्मुख बनाने हेतु समान अवसर प्रदान करना है।

B) उक्त दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया" कहलायेंगे।

C) यह मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया सत्र 2024-25 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

NfSt

2. **सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं को देय राशि, राज्य स्तरीय श्रेणीवार लक्ष्य, कोचिंग की अवधि एवं छात्र–छात्राओं की न्यूनतम योग्यता :–** योजना के तहत सत्र 2024-25 से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं को देय राशि, राज्य स्तरीय श्रेणीवार लक्ष्य, कोचिंग की अवधि एवं छात्र–छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्न तालिका–01 में अंकित अनुसार रहेगी :–

तालिका–01

परीक्षा / पाठ्यक्रम	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	श्रेणी							
				SC	ST	OBC	EWS	Minority	MBC	PWDs	Total
यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 75000 रुपये ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 50000 रुपये	1 वर्ष	स्नातक / स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 60% अंक	131	94	94	45	45	23	18	450

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 50000 रुपये ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रुपये	1 वर्ष	स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत **एवं** कक्षा 12वी में 60% अंक	261	189	189	90	90	45	36	900
आरपीएससी द्वारा आयोजित सबइंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स मे पे लेवल–10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं	20000 रुपये	6 माह	स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत **एवं** कक्षा 12वी में 50% अंक	609	441	441	210	210	105	84	2100
रीट परीक्षा	15000 रुपये	4 माह	बीएड/एसटीसी **एवं** कक्षा 12वी में 50% अंक	826	599	599	285	285	142	114	2850
आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे– पटवारी,कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाऐं	10000 रुपये	4 माह	स्नातक में अध्ययनरत/12वी तथा RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/उच्च स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिकेट / डिप्लोमा **एवं** कक्षा 12वी में 50% अंक	1044	756	756	360	360	180	144	3600
कांस्टेबल परीक्षा	10000 रुपये	4 माह	कक्षा 10वी में 50% अंक	696	504	504	240	240	120	96	2400
बैकिंग/बीमा की विभिन्न परीक्षाऐं	20000 रुपये	6 माह	यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री मे 50% अंक	261	189	189	90	90	45	36	900
रेलवे रिक्रुमेन्ट बोर्ड (आर.आर.बी.) द्वारा आयोजित परीक्षाऐं	20000 रुपये	6 माह	स्नातक में अध्यनरत **एवं** कक्षा 12 में 50% अंक	261	189	189	90	90	45	36	900
यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाईड डिफेन्स सर्विसेज (सीडीएस)/स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एस.एस.सी.) द्वारा आयोजित परीक्षाऐं (CDS/SSC)	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रुपये ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 25000 रुपये	1 वर्ष	स्नातक/स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत **एवं** कक्षा 12वी में 50 प्रतिशत अंक	261	189	189	90	90	45	36	900

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

Total Seats - I				4350	3150	3150	1500	1500	750	600	15000
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE) / मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET)	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 70000 रूपये प्रतिवर्ष ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 55000 रूपये प्रतिवर्ष	2 वर्ष	कक्षा 10 में 50% अंक (कक्षा 11वीं / 12वीं में अध्ययनरत /12वी उत्तीर्ण हो एवं 10वी उत्तीर्ण किये हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो)	3480	2520	2520	1200	1200	600	480	12000
क्लैट परीक्षा (CLAT)	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रूपये ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 25000 रूपये	1 वर्ष	कक्षा 10 में 50% अंक (कक्ष 11वीं / 12वीं में अध्ययनरत /12वी उत्तीर्ण हो एवं 10वी उत्तीर्ण किये हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो)	174	126	126	60	60	30	24	600
सीए एफसी + सीयुइटी	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रूपये ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 25000 रूपये	1 वर्ष	कक्षा 10 में 50% अंक (कक्षा 11वीं / 12वीं में अध्ययनरत/12 वी उत्तीर्ण हो एवं 10 वी उत्तीर्ण किये हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो)	232	168	168	80	80	40	32	800
सीएस इइटी + सीयुइटी				232	168	168	80	80	40	32	800
सीएमए एफसी + सीयुइटी				232	168	168	80	80	40	32	800
Total Seats - II				4350	3150	3150	1500	1500	750	600	15000
Grand Total (I + II)				8700	6300	6300	3000	3000	1500	1200	30000

3. **योजना का क्रियान्वयन :–**

A) राजस्थान राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति–पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं विशेष योग्यजनों हेतु विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा किया जावेगा।

B) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाईन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जावेंगे।

C) सत्र 2024-25 से योजनान्तर्गत श्रेणी/वर्गवार, पाठ्यक्रम–वार/परीक्षावार राज्य–स्तरीय लक्ष्य रहेगें।

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

D) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के राज्य स्तर पर समुचित क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु योजना प्रभारी एवं पोर्टल पर स्टेट एडमिन के रूप में अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति) निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर होंगे। पोर्टल प्रबंधन सहित योजना के सभी पहलुओं को उक्त प्रभारी द्वारा नियंत्रित किया जावेगा।

E) कोचिंग संस्थाओं का चयन एवं पंजीयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किये गये इन संशोधित नवीनतम दिशा–निर्देशों के आधार पर पारदर्शी EOI/विज्ञप्ति के माध्यम से किया जावेगा।

F) कोचिंग संस्थानों द्वारा योजनान्तर्गत बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों अथवा परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थानों की श्रेणी में से किसी भी एक श्रेणी में ही आवेदन किया जावेगा।

4. **कोचिंग संस्थानों को सूचीवद्ध किये जाने की प्रक्रिया :–**

A) इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों को परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थाओं/बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उत्कृष्ट कोचिंग उपलब्ध करवाई जावेगी।

B) सत्र 2024-25 से सभी इच्छुक कोचिंग संस्थानों (योजनान्तर्गत पूर्व में विभाग के साथ सूचीबद्ध चल रही संस्थानों सहित) द्वारा विभागीय पोर्टल पर नवीन ऑनलाईन आवेदन किया जावेगा। इच्छुक कोचिंग संस्थानों से अपेक्षित है कि वे जिलेवार उनके द्वारा संचालित अधिकतम केन्द्रों को पंजीकृत करवायें ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाकर इस योजना का दायरा बढाया जा सकें।

C) इच्छुक कोचिंग संस्थाओं से विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव मय निर्धारित समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित कर जिस जिले में कोचिंग संस्थान का केन्द्र संचालित है उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर कोचिंग संस्थान के प्रस्ताव की सम्पूर्ण जांच की जावेगी। विभागीय जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का परीक्षण आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा कोचिंग संस्थाओं को सम्बंधित पाठ्यक्रमों हेतु योजनान्तर्गत सूचीवद्ध किये जाने का अनुमोदन किया जावेगा।

D) विभागीय जिलाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थान के प्रस्ताव का ऑनलाईन सत्यापन के समय कोचिंग संस्थान के सम्बधित केन्द्र का निरीक्षण कर संतोषप्रद संचालन की स्थिति को सम्बधित जिलाधिकारी द्वारा पोर्टल पर चैक बॉक्स भरा जावेगा।

E) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोचिंग संस्थाओं को सम्बंधित पाठ्यक्रमों हेतु योजनान्तर्गत सूचीवद्ध किये जाने का अंतिम प्रशासनिक अनुमोदन विभाग द्वारा सक्षम स्तर से हो जाने के उपरांत योजना के पोर्टल पर सम्बंधित कोचिंग संस्थान को विभाग द्वारा पंजीकृत किया जावेगा।

F) सत्र 2024-25 से लागू मापदंडों के अनुसार अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल पर सम्बंधित कोचिंग संस्थान को सम्बंधित पाठ्यक्रमों हेतु 03 शैक्षणिक सत्र की अवधि के लिए सूचीबद्ध कर दिया जावेगा। इन सभी चयनित कोचिंग संस्थानों को विस्तृत कार्य आदेश (वर्क–ऑर्डर) 03 शैक्षणिक सत्रों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया जावेगा। कोचिंग संस्थानों को विभाग द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार सभी दिशा–निर्देश, न्यूनतम कुल कोचिंग अवधि, लाभार्थियों का परिणाम तथा नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

G) विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सभी नवीनतम दिशा–निर्देश/परिपत्र/आदेश इत्यादि के सभी प्रावधानों एवं अन्य शर्तो का पालन सभी हितधारकों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

H) विभागीय जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 34056 दिनांक 05.08.2021 (यथासंशोधित) द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति में नवीन संशोधन कर निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है।

1. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - अध्यक्ष
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग - सदस्य

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

3. संयुक्त सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग - सदस्य
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर का प्रतिनिधि - सदस्य
5. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य सचिव
6. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य
7. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य
8. संयुक्त निदेशक (आई. टी.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य
9. सहायक निदेशक (अनुप्रति) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य

5. **कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किये जाने की अनिवार्य पात्रता:–**

A) इच्छुक सभी कोचिंग संस्थानों (उन कोचिंग संस्थानों सहित जो पहले से ही योजनान्तर्गत सूचीबद्ध है) को सत्र 2024-25 से लागू संशोधित नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल पर नवीन आवेदन करना होगा।

B) कोचिंग संस्थान को कम्पनी अधिनियम 2013/ संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/ राज्य/संघ क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय/संगठन होना चाहिए।

C) विभाग द्वारा कोचिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु इच्छुक कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने की EOI/विज्ञप्ति जारी होने की तारीख को आवेदन करने वाली सम्बधित संस्थान कम से कम 03 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो एवं वह संस्थान योजनान्तर्गत आवेदन करते समय कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होनी चाहिए।

D) संस्था के पास आवेदित पाठ्यक्रमों में कोचिंग प्रदान करने के लिए केन्द्रवार सभी आवश्यकताऐं पूरी करने हेतु उपयुक्त अवसंरचना होनी चाहिए।

6.1 **बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु पाठ्यक्रमवार अनिवार्य पूर्व अर्हताऐं:–** बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु कोचिंग संस्थानों की पाठ्यक्रमवार अनिवार्य पूर्व अर्हताए निम्न तालिका–02 में अंकित अनुसार है।

तालिका–02

क्र. सं.	पाठ्यक्रम / परीक्षा का नाम	पिछले तीन वर्षों में संबंधित कोचिंग सेवाओं का प्रत्येक वर्ष का कुल टर्नओवर	पिछले तीन वर्षों में संबंधित पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या	सक्रिय कोचिंग सेंटरों की न्यूनतम संख्या		पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार पूर्णकालिक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	पिछले तीन वर्षों में कोचिंग संस्थान द्वारा पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार प्रशिक्षित विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष न्यूनतम परिणाम
				राजस्थान सहित सम्पूर्ण भारत में	केवल राजस्थान में		
A	सब–इन्सपेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा रीट परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि कांस्टेबल परीक्षा	65 लाख रूपये से 2 करोड़ रूपये तक	250	..	01	05	योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे – रीट परीक्षा, सब–इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी आदि के अंतिम परिणाम में परीक्षावार पिछली 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तियो में परीक्षावार शीर्ष 500 रैंक में न्यूनतम 10 चयन
B	क्लैट	01 करोड़ से 05 करोड़ रूपये तक	250	02	01	05	क्लैट में शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 5 रैंक प्राप्त की हो
	बैंकिंग / बीमा आर.आर.बी.	01 करोड़ से 05 करोड़ रूपये तक	500	02	01	05	पाठ्यक्रमवार सम्बधित परीक्षाओं हेतु घोषित परिणाम

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Badanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

	एस.एस.सी. / सी.डी.एस.						में कम से कम 25 विद्यार्थियों का चयन अंतिम रूप से हुआ
C	आर.ए.एस. एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	02 करोड़ रुपये से 05 करोड़ रुपये तक	250	..	01	05	विगत 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तियों में शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 5 अंतिम चयन
	यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	02 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	250	02	01	05	यूपीएससी द्वारा घोषित शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 1 अंतिम चयन
D	इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा / मैडिकल प्रवेश परीक्षा	02 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	1000	05	01	05	इंजीनियरिंग / मैडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष 2000 रैंक में न्यूनतम 10 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो **तथा** शीर्ष 10000 रैंक में न्यूनतम 25 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो।
	सीए.एफसी. / सी.एस.इ.ई.टी. / सी.एम.ए.एफ.सी. + सी.यू.इ.टी. (यू.जी.)	02 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	1000	05	01	05	सीए / सीएस / सीएमए के लिए घोषित शीर्ष 50 रैंक में न्यूनतम 03 रैंक प्राप्त की हो

नोट 1:- उपरोक्त मानदंडों के अलावा सम्बधित बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों की सक्रिय वेबसाइट हो।

नोट 2:- यदि पिछले तीन वर्षों में संबंधित परीक्षाओं में सरकार द्वारा भर्तियां नहीं की गईं, तो कोचिंग संस्थान को A अथवा C के लिए निर्धारित न्यूनतम परिणाम में तदनुसार छूट रहेगी लेकिन इस सम्बंध में साक्ष्य स्वरूप सम्बधित संस्थान को पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

नोट 3 :- यदि ऐसा कोई कोचिंग संस्थान जो परिणामोंन्मुखी कोचिंग संस्थान की श्रेणी हेतु सम्बंधित पाठ्यक्रम / परीक्षावार निर्धारित सभी पूर्व अर्हताओं में से वर्षवार टर्नओवर सहित कुछ पूर्व अर्हताओं को तो पूर्ण करता है लेकिन शेष अन्य को पूर्ण नही करता है, जबकि वह कोचिंग संस्थान ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थान की श्रेणी हेतु पाठ्यक्रम / परीक्षावार निर्धारित वर्षवार टर्नओवर की पूर्व अहर्ता से अधिक टर्नओवर रखता है एवं इस श्रेणी हेतु निर्धारित शेष अन्य सभी पूर्व अहर्ताओं को भी पूर्ण करता है तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित कोचिंग संस्थान के द्वारा ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थान की श्रेणी में ही आवेदन किया जावेगा।

6.2 परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थानों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु पाठ्यक्रमवार अनिवार्य पूर्व अर्हताऐं :– परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थानों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु कोचिंग संस्थानों की पाठ्यक्रमवार अनिवार्य पूर्व अर्हताए निम्न तालिका–03 में अंकित अनुसार है।

तालिका–03

क्र. सं.	पाठ्यक्रम / परीक्षा का नाम	पिछले तीन वर्षों में संबंवित कोचिंग सेवाओं का प्रत्येक वर्ष का कुल टर्नओवर	पिछले तीन वर्षों में संबंवित पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या	सक्रिय कोचिंग सेंटरों की न्यूनतम संख्या		पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार पूर्णकालिक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	पिछले तीन वर्षों में कोचिंग संस्थान द्वारा पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार प्रशिक्षित विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष न्यूनतम परिणाम
				राजस्थान सहित सम्पूर्ण भारत में	केवल राजस्थान में		
A	सब–इन्सपेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा रीट परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि कांस्टेबल परीक्षा	02 करोड़ रुपये से ऊपर	500	..	02	05	योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे – रीट परीक्षा, सब–इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी आदि के अंतिम परिणाम में परीक्षावार पिछली 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तियों में परीक्षावार शीर्ष 300 रैंक में न्यूनतम 15 चयन
B	क्लैट	05 करोड़ रुपये से ऊपर	500	05	01	10	क्लैट में शीर्ष 500 रैंक में न्यूनतम 5 रैंक प्राप्त की हो

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

	बैंकिंग / बीमा आर.आर.बी. एस.एस.सी. / सी.डी.एस.	05 करोड़ रुपये से ऊपर	1000	05	01	05	[illegible] सम्बंधित [illegible] हेतु घोषित परिणाम में कम से कम 50 विद्यार्थियों का चयन अंतिम रूप से हुआ हो
C	आर.ए.एस. या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	05 करोड़ रुपये से ऊपर	500	..	02	05	विगत 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तीयों में शीर्ष 500 रैंक में न्यूनतम 5 अंतिम चयन
	यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	10 करोड़ रुपये से ऊपर	500	05	01	10	यूपीएससी द्वारा घोषित शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 5 अंतिम चयन
D	इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा / मैडिकल प्रवेश परीक्षा	10 करोड़ रुपये से ऊपर	2000	10	02	10	इंजीनियरिंग / मैडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष 100 रैंक में न्यूनतम 5 विद्यार्थियों ने तथा शीर्ष 10000 रैंक में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो। **अथवा** इंजीनियरिंग / मैडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 10 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो तथा शीर्ष 10000 रैंक में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो।
	सीए.एफसी. / सी.एस.ई.ई.टी. / सी.एम.ए.एफ.सी. + सी.यू.इ.टी. (यु.जी.)	10 करोड़ रुपये से ऊपर	2000	10	01	10	सीए / सीएस / सीएमए के लिए घोषित शीर्ष 50 रैंक में न्यूनतम 10 रैंक प्राप्त की हो

नोट 1:- उपरोक्त मानदंडों के अलावा सम्बधित परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थाओं की सक्रिय वेबसाइट और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल अध्ययन–सामग्री / ऑनलाइन कोचिंग, रिविज़न सहायता एवं टेस्ट–सीरीज़ के लिए कार्यात्मक इन–हाउस अध्ययन ऐप हो।

नोट 2:- यदि पिछले तीन वर्षों में संबंधित परीक्षाओं में सरकार द्वारा भर्तियां नहीं की गईं, तो कोचिंग संस्थान को A अथवा C के लिए निर्धारित न्यूनतम परिणाम में तदनुसार छूट रहेगी लेकिन इस संबंध में साक्ष्य स्वरूप सम्बधित संस्थान को पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

7. कोचिंग संस्थान द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजः–

A) कोचिंग संस्थान का वैद्यानिक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संस्थान की कार्यकारिणी का पंजीकृत दस्तावेज।

B) कोचिंग संस्थान द्वारा पिछले 3 वर्षों में संपादित गतिविधियों की संस्था प्रभारी द्वारा प्रमाणित वर्षवार रिपोर्ट (यदि कोचिंग संस्थान की शैक्षणिक क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हो तो उसको भी साक्ष्य दस्तावेज के साथ प्रमुखतः अंकित करे)।

C) कोचिंग संस्थान की पिछले 3 वर्षों की सीए द्वारा प्रमाणित वर्षवार ऑडिटेड रिपोर्ट मय वित्तीय विवरण के दस्तावेज।

D) कोचिंग संस्थान में कार्यरत् पूर्णकालिक शिक्षकों की सूची (उनके नाम, विषय और अनुभव मय योग्यता के साथ) जोकि संस्थान के प्रभारी और सीए द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित हो।

E) कोचिंग संस्थान द्वारा संचालित कोचिंग–सेंटरों के भवन का स्वामित्व दस्तावेज/अनुबंधित किराया समझौते के दस्तावेज मय संबंधित फ्लोर प्लान का ब्लू प्रिंट एवं संस्थान के मौजूदा समग्र बुनियादी ढांचे की फोटो तथा क्लास रूम की बैठक क्षमता के सम्बंध में संस्थान प्रभारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज।

F) कोचिंग संस्थान के चालू बैंक खाते (Current Account) का विवरण मय आईएफएससी कोड का प्रमाणिक दस्तावेज।

G) कोचिंग संस्थान के नाम जारी पैन कार्ड एवं संस्थान द्वारा भरे गये पिछले 3 वर्षों के सीए द्वारा प्रमाणित वर्षवार आयकर रिटर्न के प्रमाणिक दस्तावेज।

H) पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित विद्यार्थियों की वर्षवार परीक्षावार सूची (वर्ष, नाम, संपर्क नंबर, कोचिंग सेन्टर में विद्यार्थी का रोल नंबर/फी रिसीप्ट नंबर) जोकि संस्था प्रभारी द्वारा मय सील प्रमाणित हो।

I) पिछले 3 वर्षों में सफल विद्यार्थियों की वर्षवार परीक्षावार सूची (वर्ष, रैंक, रोल नम्बर, नाम एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर, कोचिंग सेन्टर में विद्यार्थी का रोल नंबर/ फी रिसीप्ट नंबर) जोकि संस्था प्रभारी द्वारा मय सील प्रमाणित हो।

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

J) यदि कोचिंग संस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत पूर्व में सूचीबद्ध रही हो तो सफल विद्यार्थियों की वर्षवार परीक्षावार सूची (वर्ष, रैंक, रोल नम्बर, नाम मय पता एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर, कोचिंग सेन्टर में विद्यार्थी का रोल नंबर) जोकि संस्था प्रभारी द्वारा मय सील प्रमाणित हो।

K) कोचिंग संस्थान का जीएसटी पंजीयन (GSTIN) एवं कोचिंग संस्थान द्वारा भरे गये पिछले 3 वर्षों के जीएसटी रिटर्न के सीए द्वारा प्रमाणित वर्षवार प्रमाणित दस्तावेज।

L) कोचिंग संस्थान की वेबसाइट और इन–हाउस स्टडी ऐप का लिंक/यूआरएल

M) कोचिंग संस्थान या उसके समूह की कोई कंपनी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा कि कोचिंग संस्थान के विरूद्व NCLT/IBC में पिछले तीन वर्षों में न तो प्रकरण दर्ज किया गया है और न ही चल रहा है।

N) कोचिंग संस्थानों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उन्हें पिछले 05 वर्षों में कोचिंग संस्थान या उसके समूह की कोई कंपनी किसी भी सरकारी विभाग द्वारा Black List में नहीं किया गया है। यदि भविष्य में विभाग के संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है जिसमें किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा स्वयं के Black List होने की स्थिति को छिपाकर विभाग की योजना के अन्तर्गत पंजीयन करवा लिया जाता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज. द्वारा आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के साथ सम्बधित दोषी संस्थान को 05 वर्ष के लिए Black List किया जा सकेगा।

O) योजनान्तर्गत समय–समय पर जारी विभागीय समस्त परिपत्र/आदेश/दिशा–निर्देश आदि की संस्थान के स्तर पर पूर्ण पालना करने, चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ने पर संस्थान की कोई भी जानकारी विभाग को तत्काल प्रस्तुत किये जाने की वचनबद्धता, संस्थान द्वारा प्रदत्त सभी जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही और सटीक होने की पुष्टि, संस्थान द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना/दस्तावेज भविष्य में गलत पाये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा संस्थान के विरूद्व कोई भी सख्त कार्यवाही/ Black List किये जाने की विभाग को स्वतन्त्रता होने तथा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थान वर्तमान में ब्लैक–लिस्टेड/डीबार नही हैं, के संबंध में संस्थान द्वारा रूपए 100/– के स्टाम्प पेपर पर स्व–घोषणा को पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा ।

P) भावी कोचिंग कार्यक्रम की पाठ्यक्रमवार प्रमाणित समग्र अनुसूची और समय–सारिणी को पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा।

Q) कोचिंग संस्थान द्वारा इस आशय का सहमति पत्र दिया जावेगा कि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची अनुसार ही प्रवेश दिया जावेगा तथा कोचिंग संस्थान द्वारा योजना के लाभार्थियों हेतु योग्य टीचिंग फैकल्टी, व्यापक अध्ययन सामग्री, रिवीजन सत्र अतिरिक्त कक्षाएं, टेस्ट–सीरीज़ इत्यादि प्रदान करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित किश्तों के अनुसार देय राशि के अतिरिक्त कोई अन्य राशि कोचिंग संस्थान द्वारा विद्यार्थी से किसी भी समय नही ली जावेगी।

R) राज्य सरकार/विभाग द्वारा आवश्यक अन्य कोई सहमति पत्र एवं दस्तावेज इत्यादि को पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा।

8. पंजीयन अवधि की समाप्ति उपरान्त कोचिंग संस्थानों का नवीनीकरण की प्रक्रिया :– पंजीयन अवधि की समाप्ति उपरान्त इच्छुक कोचिंग संस्थानों का विभाग द्वारा नवीनीकरण योजनान्तर्गत उस संस्थान में कोचिंग हेतु प्रवेशित करवाये गये लाभार्थियों के सम्बधित परीक्षाओं में सफल होने के परिणाम आधारित मूल्यांकन के निम्नानुसार तालिका–04 में अंकित मापदंडो को पूर्ण करने पर ही किया जावेगा।

तालिका–04

पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम	कोचिंग संस्थानों के लिए परीक्षावार निर्धारित प्रदर्शन मापदण्ड	योजनान्तर्गत संस्थान में प्रवेशित लाभान्वितों का संबंधित परीक्षाओं में परीक्षावार सफल होने का न्यूनतम परिणाम प्रतिशत
यूपीएससी–सिविल सेवा परीक्षा	यूपीएससी–सिविल सेवा की परीक्षा मे प्रांरभिक/मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने/अंतिम चयन।	2%
आरपीएससी–आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	आरपीएससी–आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मे मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने/अंतिम चयन।	2%

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाए (सब–इन्सपेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा, रीट परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि, कांस्टेबल परीक्षा)	इन परीक्षाओं में लाभार्थी का अंतिम चयन या साक्षात्कार के लिए कॉल	5%
मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET)	इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के उपरान्त एमबीबीएस/बीडीएस/स्वास्थ्य विज्ञान (हैल्थ साइंस) के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश (जिनमें से कम से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए हों जिस पर श्रेणीवार सम्बधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था)	5%
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE-Main)	इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के उपरान्त किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेन्स द्वारा बीटेक/बीई के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का प्रवेश (जिनमें से कम से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए थे जिस पर श्रेणीवार सम्बधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था)	5%
क्लैट (CLAT)	क्लैट परीक्षा उत्तीर्ण करना और एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना	8%
सीएएफसी/सीएसईईटी/सीएमएएफसी एवं सीयूईटी (CAFC/CSEET/CMAFC) +CUET	सीए/सीएस/सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सीयूईटी (वाणिज्य) परीक्षा में सफलता	8%
बैकिंग/बीमा/आरआरबी/एसएससी/सीडीएस	इन परीक्षाओं में लाभार्थी का अंतिम चयन	8%

9. अभ्यर्थियों की पात्रता:

A) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

B) अभ्यर्थी (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (iv) अति–पिछड़ा वर्ग (v) आर्थिक पिछड़ा वर्ग (vi) अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य (vii) विशेष योग्यजन हो।

C) अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक नही है तो माता–पिता/अभिभावक (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) की वार्षिक आय रूपये 8,00,000/- तक हो। 'अथवा' अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक है तो कार्मिक का पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल–11 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतो सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय रूपये 8,00,000/- तक हो। 'अथवा' अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक केन्द्र सरकार में राजकीय कार्मिक है तो पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल–6 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतो सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय रूपये 8,00,000/- तक हो।

D) विद्यार्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नही किया गया है की पोर्टल द्वारा स्वतः ही जॉच की जावेगी। यहाँ योजना का लाभ लेने से तात्पर्य यह होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के किसी सत्र में योजनान्तर्गत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन कर लिया गया हो। योजना के आवेदन में भरे गये सभी तथ्य एवं जानकारी तथा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज पूर्ण एवं सत्य होने के संबंध में पोर्टल पर विद्यार्थी द्वारा स्व–घोषणा का कॉलम मार्क किये बगैर आवेंदन पोर्टल पर सब्मिट नही हो सकेगा।

E) यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आयोग/बोर्ड/अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी कोचिंग योजनान्तर्गत पात्र नही होगा।

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

10. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया :–

A) विभाग द्वारा विज्ञप्ति/EOI जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई–मित्र/स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से योजना के विभागीय पोर्टल पर जनाधार कार्ड के जरीये आवेदन किया जावेगा। जनाधार पोर्टल से योजना के विभागीय पोर्टल पर केवल सत्यापित डेटा ही प्राप्त किया जायेगा।

B) अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जारी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंकतालिका का यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के वैब पोर्टल/जनाधार/राज ई–बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें। अतः सम्बधित अभ्यर्थी के द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उसके जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जनाधार में अद्यतन एवं सत्यापित भी हो। उक्त दस्तावेजों में से 10वीं व 12वीं की अंकतालिका का स्वतः सत्यापन नही होने की स्थिति में सम्बधित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर सम्बधित दस्तावेज को अपलोड किये जाने का विकल्प रहेगा।

C) परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण न्यूनतम योग्यता (12वीं अथवा 10वीं) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE & Other बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE बोर्ड के 10वीं/12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जावेगा।

D) योजनान्तर्गत किसी पाठ्यक्रम/परीक्षा हेतु आवेदन करते समय पोर्टल पर उस पाठ्यक्रम/परीक्षा के लिये सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में से विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक के लिए प्राथमिकता क्रम भरा जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को विभाग द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में योग्यता सह वरियता (Merit Cum Preference) के आधार पर कोचिंग संस्थान का आवंटन किया जावेगा। किसी कोचिंग संस्थान की वरीयता भरने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके न्यूनतम योग्यता की परीक्षा में एक समान प्राप्तांक हों तो उन अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की वरीयता को प्राथमिकता दी जावेगी।

E) योजनान्तर्गत विद्यार्थी का जिस वर्ष हेतु चयन हुआ है उसको उसी शैक्षणिक सत्र में विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में विद्यार्थी द्वारा सम्बधित कोचिंग संस्थान में आधार आधारित बायोमैट्रिक/ओटीपी के माध्यम से ज्वॉईन किया जाना होगा। आवंटित कोचिंग संस्थान में एक बार ज्वॉईन कर लिये जाने के उपरान्त विद्यार्थी आगामी सत्रों में योजनान्तर्गत नवीन आवेदन कर योजना का पुनः लाभ लेने हेतु पात्र नही होगा जिसके सम्बंध में पोर्टल पर स्वतः चिन्हीकरण का समुचित प्रावधान होगा।

F) विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन एवं अभिशंषा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षावार, वर्गवार, राज्य–स्तरीय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य–स्तरीय मैरिट सूची जारी की जावेगी।

G) मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सम्बधित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग हेतु प्रवेश लेने के उपरान्त कोचिंग संस्थान को योजनान्तर्गत निर्धारित फीस का सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

H) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लैट परीक्षा, 'CAFC / CSEET / CMAFC' + CUET एवं CDS/SSC की परीक्षाओं की परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थाओं/ बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि आवास/भोजन भत्ते के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हें योजनान्तर्गत चयनित होने के उपरान्त सम्बधित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में ज्वाईनिंग के फलस्वरूप इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर किराये पर रहना पड़े।

I) योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम–वार/परीक्षा–वार, श्रेणीवार/वर्गवार राज्य स्तरीय लक्ष्य के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थी द्वारा सूचीबद्ध

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

कोचिंग संस्थान द्वारा परीक्षा/पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण होने तक लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की व्यवस्था सम्बन्धित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा करवाई जायेगी।

J) दो वर्षीय पाठ्यक्रम यथा मेडिकल/इंजिनियरिंग में अभ्यर्थियों की एक बार ही मैरिट जारी की जावेगी उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की कोचिंग में ऑनलाईन ज्वाईनिंग करने हेतु पृथक से मैरिट जारी नही की जावेगी।

11. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :–

A) अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जारी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंकतालिका यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के वैब पोर्टल/जनाधार/राज ई–बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें। अतः सम्बधित अभ्यर्थी के द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उसके जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जनाधार में अद्यतन एवं सत्यापित भी हो। उक्त दस्तावेजों में से 10वीं व 12वीं की अंकतालिका का स्वतः सत्यापन नही होने की स्थिति में सम्बधित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर सम्बधित दस्तावेज को अपलोड किये जाने का विकल्प रहेगा।

B) कक्षा 10वीं व 12वीं की अंकतालिका एवं अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत परीक्षावार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सम्बधी दस्तावेज अपलोड किया जावेगा।

C) योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को विशेष भत्ता (आवास/भोजन भत्ता/परीक्षा फीस) स्वयं विद्यार्थी के सक्रिय बैंक खाते या विद्यार्थी एवं उसके पिता/माता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी किया जाएगा। इसके साक्ष्य स्वरूप विद्यार्थी द्वारा बैंक खाते का सही एवं पूर्ण विवरण आवेदन के समय भरकर पोर्टल पर बैंक पासबुक को आवश्यक रूप से अपलोड़ भी किया जावेगा। विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन की जॉच के दौरान अभ्यर्थी के पासबुक के विवरण का मिलान किया जावेगा। बैंक खाते के विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा जिसके सम्बंध में पोर्टल पर विद्यार्थी को आवेंदन के समय अलर्ट हेतु पॉप–अप प्रदर्शित होगा।

D) यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक है तो इस सम्बंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा गत वर्ष के लिए जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र (जिसमें वेतनभोगी का नाम, पदनाम, पदस्थापन कार्यालय का नाम, मूल वेतन (बैसिक पे), सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी), पे–लेवल एवं वार्षिक आय अनिवार्यतः अंकित हो) को अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा एवं वार्षिक आय भरनी होगी। अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक नही है तो इस सम्बंध में गत वर्ष में भरी गई आयकर विवरणिका (ITR) की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर आवेदन के समय अपलोड की जावेगी, लेकिन ITR नहीं भरने की स्थिति में अभ्यर्थी परिवार (अभ्यर्थी सहित) की समस्त स्त्रोतों से आय के साक्ष्य स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में आय का घोषणा पत्र (जो कि नोटेरी एवं दो राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हो) को अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा एवं वार्षिक आय भरनी होगी। विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन की जॉच के दौरान उक्तानुसार निर्धारित दस्तावेज/आय के घोषणा पत्र के विवरण को जॉचा जावेगा। आय के घोषणा पत्र के विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा जिसके सम्बंध में पोर्टल पर विद्यार्थी को आवेंदन के समय अलर्ट हेतु पॉप–अप प्रदर्शित होगा।

12. अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया :–

A) विभाग द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से योजनान्तर्गत निर्धारित राज्य स्तरीय लक्ष्यों के अनुसार मेरिट आधार पर विभिन्न श्रेणी/वर्गो के लिए परीक्षावार 03 गुणा विद्यार्थियों की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की जावेगी।

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Badanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

B) उक्त प्राविजनल मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों एवं अन्य सभी पात्रता की जाँच मूलनिवास के जिले के विभागीय जिलाधिकारी द्वारा 10 दिवस में सत्यापित एवं अनुमोदित कर दिये जाने के बाद विभाग द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप मेरिट आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार मुख्य मेरिट सूची जारी की जावेगी तथा शेष रहे अन्य अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा।

C) मुख्य मेरिट सूची के अभ्यर्थियों को 10 दिवस के भीतर कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन किये जाने का अवसर दिया जावेगा। यदि किन्ही कारणों से मुख्य सूची के विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में ज्वॉईन नही किया जाता है तो इस रिक्त सीट पर प्रतीक्षा सूची के श्रेणीवार/वर्गवार पात्र एवं योग्य अभ्यर्थी को मेरिट कम प्रिफरेन्स तथा सीट की उपलब्धता के आधार पर सम्बधित कोचिंग संस्थान में सम्बधित सत्र में ही अवसर प्रदान किया जावेगा।

D) योजनान्तर्गत परिक्षावार एवं वर्गवार निर्धारित लक्ष्य यदि रिक्त रह जाते है तो अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों से उक्त रिक्त सीटों को निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अनुमोदन उपरान्त भरा जा सकेगा।

13. कोचिंग संस्थानों हेतु अन्य शर्तें:

A) यदि अभ्यर्थी निर्धारित कोचिंग अवधि को बीच में छोड़कर जाता है तो कोर्स हेतु कोचिंग संस्थानों को विभाग द्वारा आगे की किश्तों का भुगतान नहीं किया जावेगा।

B) कोचिंग संस्थानों को आवंटित अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति के लिए कोचिंग संस्थानों द्वारा बायोमैट्रिक डिवाईस स्थापित कर विद्यार्थीवार उपस्थिति का डेटा विभागीय पोर्टल पर संधारित रहेगा जोकि संबंधित जिलाधिकारी को सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु प्रदर्शित होगा। योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा कोचिंग संस्थाओं में ज्वाईन करने के उपरान्त नियमित बैच मे संबंधित अभ्यर्थी की प्रत्येक 30 दिवस की अवधि के दौरान उस अभ्यर्थी की न्यूनतम 05 दिवस सकारात्मक उपस्थिति (यादृच्छिक आधार पर) का पोर्टल पर रिकोर्ड होने पर ही जिला अधिकारी के स्तर पर उस अभ्यर्थी के क्रम में देय किस्तो का भुगतान पोर्टल पर प्रोसेस होगा।

C) कोचिंग संस्थान द्वारा पोर्टल उल्लेखित स्थान पर ही कोचिंग संचालित किया जाना अनिवार्य है।

D) यदि किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान के द्वारा अन्य कोई नवीन केन्द्र भी संचालित किया जाना हो तो उस केन्द्र को नियमानुसार पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा।

E) कोचिंग संस्थानों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट असंतोषजनक पाये जाने एवं किसी प्रकार की अनियमितता बरतने/असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर संस्थान को पोर्टल से हटाये जाने का अन्तिम निर्णय विभाग द्वारा लिया जा सकेगा।

F) योजना के दिशा–निर्देशों एवं अन्य प्रावधानों का उल्लघंन करने पर या योजनान्तर्गत प्रवेशित लाभार्थी से कोचिंग हेतु कोई भी अतिरिक्त राशि लिए जाने की स्थिति में संस्थान के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

G) कोचिंग संस्थान में गुणवत्ता पूर्ण कोचिंग प्राप्त करने का निर्धारित प्रपत्र में लाभार्थी द्वारा स्व–हस्ताक्षरित मासिक घोषणा पत्रों को लाभार्थीवार संस्थान प्रभारी/संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा पोर्टल पर स्वंय के बायोमैट्रिक पहचान के जरिये नियमानुसार निर्धारित किश्तों के भुगतान से पूर्व समय–समय पर अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा जो कि सम्बधित जिलाधिकारी को उस लाभार्थी के क्रम में किश्तों की स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। उक्तानुसार लाभार्थीवार सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता तथा सर्टिफिकेट के संतोषप्रद होने की पुष्टि संस्थान प्रभारी/संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा कर दिए जाने एवं तदुपरांत जिलाधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन कर दिये जाने के उपरान्त ही जिला अधिकारी के स्तर पर किस्तो का भुगतान पोर्टल पर प्रोसेस होगा।

H) कोचिंग संस्थान में परीक्षावार ज्वॉईन करने वाले लाभार्थियों के परीक्षा हॉल टिकट/प्रवेश पत्र और उनमें से सफल होने का प्रमाणित साक्ष्य एवं संबंधित विद्यार्थी द्वारा प्रमाणित सफलता की कहानी को कोचिंग संस्थान के माध्यम से प्रत्येक

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

सत्र की समाप्ति के 3 माह के भीतर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई संस्थान परिणाम आधारित मूल्यांकन के मापदण्ड के अनुसार वांछित रिकोर्ड अपलोड नही करती है तो उस संस्थान को सम्बधित पाठ्यक्रम में पुनः सूचीबद्ध किये जाने के सम्बंध में विभाग द्वारा विचार नही किया जा सकेगा। हालांकि ज्वॉईनिंग सत्र से आगामी 2 सत्र समाप्ति तक किसी परीक्षा का परिणाम घोषित नही हुआ हो अथवा किन्ही परिस्थितिगत कारणों से विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ हो तो इस संबंध में पोर्टल पर संस्थान प्रभारी द्वारा रूपए 100 के स्टाम्प पर शपथ–पत्र अपलोड़ किया जाना अनिवार्य होगा ताकि ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सके।

I) कोचिंग संस्थानों की वरीयता भरते समय विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान के बारे में बेहतर समझ प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थानों की अधिकारिक वेबसाइट का लिंक विभाग को उपलब्ध करवाया जावेगा। सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सेमिनार एवं अन्य प्रचार–प्रसार के माध्यम से अभ्यर्थियों के हित में योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित करेंगें।

J) राज्य–स्तर पर कोचिंग संस्थानों का परिणाम उन्मुख कोचिंग संस्थान अथवा ज्ञानवर्धक कोचिंग संस्थान के रूप में वर्गीकरण तथा योजनान्तर्गत निर्धारित कुल लक्ष्यों/सीटों में से परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थानों/ज्ञानवर्धक कोचिंग संस्थानों में सीटों का तार्किक एवं न्याय संगत विभाजनए आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अभिशंषा के आधार पर सक्षम प्रशासनिक स्तर से निर्णय उपरांत किया जावेगा।

14. आवास भत्ता :

A) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा सयुंक्त प्रतियोगी, मेडिकल/इंजिनियरिंग प्रवेश, सीए/सीएस/सीएम प्रवेश एवं सीडीएस/एसएससी परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले जिन अभ्यर्थियों को योजनान्तर्गत कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में आकर रहना पड़े उनको आवास/भोजन/परीक्षा शुल्क इत्यादि के लिए वर्षवार योजनान्तर्गत निर्धारित 40000 रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता नियमानुसार उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे लाभार्थियों को आवास/भोजन इत्यादि के लिए निर्धारित राशि लिये जाने हेतु कोचिंग संस्थान को किरायानामा/छात्रावास शुल्क रसीद प्रस्तुत की जानी होगी।

B) कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बधित अभ्यर्थियों के उक्त दस्तावेजों को ऑनलाईन पोर्टल पर Hostel Allowance विकल्प में अपलोड करना होगा।

15. देय राशि: परीक्षावार देय राशि का विवरण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित नवीनतम दिशा–निर्देश/परिपत्र/आदेश के अनुसार होगा।

16. भुगतान प्रक्रिया:

A) मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी द्वारा सम्बधित कोचिंग संस्थान में आधार आधारित बॉयोमैट्रिक/ओटीपी से ज्वाईनिंग के पश्चात् कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बधित पाठ्यक्रम/परीक्षा का बैच प्रारम्भ करने के पश्चात् सम्बधित लाभार्थी द्वारा कोचिंग में वास्तविक नियमित उपस्थिति की दिनांक से 30 दिवस की अवधि पूर्ण होने के ऑनलाईन सत्यापन पश्चात् ही नियमानुसार कोर्स हेतु देय कुल राशि का 60 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में एवं सम्बधित परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर नियमानुसार कोर्स हेतु देय कुल राशि का 35 प्रतिशत राशि द्वितीय किश्त के रूप में तथा नियमानुसार कोर्स हेतु देय कुल राशि का शेष 05 प्रतिशत राशि तीसरी किश्त के रूप में सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा सम्बधित

RajKaj Ref
11809445

Signature valid

Digitally signed by Badanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

मद से सम्बंधित कोचिंग संस्थान को भुगतान किया जावेगा। उल्लेखनीय है कि तीसरी किश्त की राशि का भुगतान सम्बधित कोचिंग संस्थान को योजनान्तर्गत प्रवेशित लाभान्वितों के सम्बधित परीक्षाओं में निम्नानुसार तालिका 05 में अंकित परिणाम आधारित मापदंडो को पूर्ण करने की स्थिति में एवं हॉल टिकट और रिजल्ट अपलोड किये जाने की जांच उपरांत ही सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।

तालिका 05

पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम	कोचिंग संस्थानों के लिए परीक्षावार निर्धारित प्रदर्शन मापदण्ड	योजनान्तर्गत संस्थान में प्रवेशित लाभान्वितों का संबंधित परीक्षाओं में परीक्षावार सफल होने का न्यूनतम परिणाम प्रतिशत
यूपीएससी–सिविल सेवा परीक्षा	यूपीएससी–सिविल सेवा की परीक्षा मे प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने/अंतिम चयन।	2%
आरपीएससी–आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	आरपीएससी–आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा मे मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने/अंतिम चयन।	2%
योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाए (सब–इन्सपेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा, रीट परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि, कांस्टेबल परीक्षा)	इन परीक्षाओं में लाभार्थी का अंतिम चयन या साक्षात्कार के लिए कॉल	5%
मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET)	इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के उपरान्त एमबीबीएस/बीडीएस/स्वास्थ्य विज्ञान (हैल्थ सांइस) के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश (जिनमें से कम से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए हों जिस पर श्रेणीवार सम्बधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था)	5%
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE-Main)	इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के उपरान्त किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेन्स द्वारा बीटेक/बीई के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का प्रवेश (जिनमें से कम से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए थे जिस पर श्रेणीवार सम्बधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था)	5%
क्लैट (CLAT)	क्लैट परीक्षा उत्तीर्ण करना और एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना	8%
सीएएफसी/सीएसईईटी/सीएमएएफसी एवं सीयूईटी (CAFC/CSEET/CMAFC) +CUET	सीए/सीएस/सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सीयूईटी (वाणिज्य) परीक्षा में सफलता	8%
बैकिंग/बीमा/आरआरबी/एसएससी/सीडीएस	इन परीक्षाओं में लाभार्थी का अंतिम चयन	8%

B) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्री एवं मुख्य परीक्षा का एकीकृत कोर्स चलाया जावेगा। उक्त परीक्षाओं के लिए विभाग द्वारा निर्धारित देय राशि का भुगतान योजना के नवीनतम दिशा–निर्देशों में विहित प्रक्रिया अनुसार तीन किश्तों मे भुगतान किया जावेगा। यद्यपि द्वितीय किश्त के भुगतान से पूर्व प्री एवं मैन्स परीक्षा के पूर्ण पाठ्यक्रम की

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

NfSt

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त कर लिये जाने के सम्बंध में निर्धारित प्रपत्र में विद्यार्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को विद्यार्थीवार संस्था प्रभारी/संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं की बॉयोमैट्रिक पहचान के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार प्रमाण पत्र एवं वांछित सूचना पोर्टल पर नहीं होने की स्थिति में योजनान्तर्गत देय राशि की द्वितीय किश्त जिला अधिकारी के स्तर पर पोर्टल पर भुगतान हेतु प्रोसेस नही होगी।

C) योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अंकितानुसार कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन एवं परीक्षा फीस इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ें। 40000 रूपयो को त्रैमासिक आधार पर बांटकर सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा त्रैमासिक भुगतान किया जावेगा। विभागीय छात्रावास में आवास करने वाले अभ्यर्थी को उक्त राशि देय नहीं होगी।

D) योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन अभ्यर्थी के मूलनिवास के जिले के विभागीय जिलाधिकारी द्वारा किया जावेगा, किन्तु कोचिंग संस्थान को नियमानुसार देय राशि की स्वीकृति/भुगतान व लाभार्थी को नियमानुसार देय आवास भत्ते की स्वीकृति/भुगतान, कोचिंग संस्थान जहां स्थित है उस जिले के सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।

E) कोचिंग संस्थान को नियमानुसार देय राशि की स्वीकृति/भुगतान व लाभार्थी को नियमानुसार देय आवास भत्ते की स्वीकृति/भुगतान किये जाने वाले विभागीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय दल द्वारा कोचिंग संस्थानों को किश्तों का भुगतान करने की निर्धारित समयावधि के उपरान्त 01 माह में अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जावेगा। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट मय संस्थान की कोचिंग के संतोषप्रद संचालित होने के चैक बॉक्स पर विभागीय जिलाधिकारी द्वारा मार्क कर दिये जाने के पश्चात् ही योजनान्तर्गत देय प्रत्येक किश्त का भुगतान प्रोसेस होने की व्यवस्था पोर्टल पर होगी।

17. अन्य नियम एवं शर्तें:

A) अंतिम तीसरे वर्ष (2026-27) के दौरान योजनान्तर्गत सूचीवद्ध की गयी कोचिंग संस्थानों में से जिन संस्थानों में विभाग द्वारा मेडिकल/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षाओं की 02 वर्षीय तैयारी के लिए योजनान्तर्गत चयनित जिन लाभार्थियों ने सम्बंधित कोचिंग में प्रवेश लेकर 01 वर्ष की कोचिंग पूर्ण कर ली हो उन लाभार्थियों की अगले वर्ष (2027-28) के लिए शेष रह गयी 01 वर्ष की कोचिंग को भी गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करवाए जाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित संस्थान की होगी। उक्त के लिए योजनान्तर्गत निर्धारित कोचिंग फीस राशि एवं आवास/भोजन भत्ता विभाग द्वारा देय होगा।

18. प्रक्रिया का विनिर्णयः योजना के संशोधित नवीनतम दिशा–निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया की अंतिम व्याख्या एवं निर्णय आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा, जो कि सभी हितधारकों पर बाध्य होगा।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

NfSt

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

NewsforSpecialTeacher.in

क्रमांकः एफ 13 () अनु. कोचिग/सान्याअवि/2024/ 21179-889 जयपुर, दिनांकः 15-11-2024

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3) सयुंक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
4) अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
5) प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6) शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7) महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8) शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर।
10) आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
11) निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
12) निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
13) जिला कलक्टर समस्त।
14) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
15) निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
16) सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने एवं उपरोक्तानुसार पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17) वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (योजना)/अतिरिक्त निदेशक(देवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार–प्रसार)/उपनिदेशक (छात्रवृत्ति), सहायक निदेशक (अनुप्रति), मुख्यावास।
18) संयुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त।
19) आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

NfSt

RajKaj Ref
11809445

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.15 17:09:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner